झारखण्ड सरकार

वाणिज्य–कर विभाग

पत्र संख्या– वा0कर1 / विविध / 22 / 2010 – 929 **/ राँची, दिनांक** – 26/3/12

प्रेषक,

अलका तिवारी
सचिव–सह–आयुक्त,
वाणिज्य–कर विभाग,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सभी वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) / (अपील) / (वैट ऑडिट),
सभी अंचल प्रभारी।

विषयः– वाणिज्य–कर विभाग द्वारा प्रशासित लघु अधिनियमों– झारखण्ड स्थानीय क्षेत्र में वस्तुओं के उपभोग अथवा व्यवहार हेतु प्रवेश पर प्रवेश कर अधिनियम, 2011 एवं झारखण्ड होटल विलास कराधान अधिनियम, 2011 के सुसंगत नियमावलियों के अधीन ऑनलाईन निबंधन आवेदन पत्र समर्पण योजना (Online Submission of Application for Registration Scheme) के संबंध में ।

महोदय / महोदया,

e-governance प्रक्रिया के अधीन स्वतः–स्फूर्त, पारदर्शी, राजस्वोन्मुखी तथा व्यवसायी अनुकूल (Dealers-friendly) कर व्यवस्था स्थापित करने के क्रम में वाणिज्य–कर विभाग द्वारा झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम तथा सुसंगत नियमावली के अधीन ऑनलाईन निबंधन आवेदन पत्र समर्पण योजना (Online Submission of Application for Registration Scheme) प्रारंभ की जा चुकी है। कर–प्रणाली के स्वचालन की अगली कड़ी में वाणिज्य–कर विभाग द्वारा प्रशासित लघु अधिनियमों झारखण्ड स्थानीय क्षेत्र में वस्तुओं के उपभोग अथवा व्यवहार हेतु प्रवेश पर प्रवेश कर अधिनियम, 2011 एवं झारखण्ड होटल विलास कराधान अधिनियम, 2011 तथा सुसंगत नियमावलियों (झारखण्ड स्थानीय क्षेत्र में वस्तुओं के उपभोग अथवा व्यवहार हेतु प्रवेश पर प्रवेश कर नियमावली, 2011 के नियम 3 (2)(e) तथा झारखण्ड होटल विलास कराधान नियमावली, 2011 के नियम 3 (2)(e) के अधीन ऑनलाईन निबंधन आवेदन पत्र समर्पण योजना की प्रक्रिया निम्नवत् विहित की जा रही है :–

1. झारखण्ड स्थानीय क्षेत्र में वस्तुओं के उपभोग अथवा व्यवहार हेतु प्रवेश पर प्रवेश कर नियमावली, 2011 के नियम 3 (2)(e) के अधीन प्रावधानित आवेदन पत्र JET 101 तथा झारखण्ड होटल विलास कराधान नियमावली, 2011 के नियम 3 (2)(e) के अधीन प्रावधानित आवेदन पत्र JHLT 101 में आवेदन के ऑनलाईन समर्पण हेतु व्यवसायियों को निम्न कार्रवाई करनी अपेक्षित है :–

   - विभागीय वेबसाईट www.jharkhandcomtax.nic.in के "e-Services" List में जाना।
   - Minor Act के Link को Click करना।
   - व्यवसायी द्वारा Profile बनाना– Profile के अधीन नाम, व्यवसायी का पता, ईमेल, मोबाईल संख्या, अंचल का नाम तथा Act Type का भरना।
   - सॉफ्टवेयर द्वारा व्यवसायी के ईमेल पर Password तथा मोबाईल पर Secret Code का प्रेषण।

- व्यवसायी द्वारा प्राप्त Password की सहायता से Login करना।
- Login के उपरांत प्राप्त Secret Code को Type करने पर संबंधित आवेदन पत्र JET 101/ JHLT101 Annexure सहित खुलना।
- Annexure-I में व्यवसायी द्वारा अपना Passport size Colour Photograph upload करना।
- Annexure-II में Security Bond के अधीन निबंधित व्यवसायियों द्वारा निर्गत Security Bond, JET 105 को Submit करने की स्थिति में भरे हुए JET 105 को upload करना।
- अंत में Submit Button को Click कर Online Submission की कार्रवाई पूरा करना।

2. उक्त Online Application अंचल प्रभारी के Menu में देखा जा सकता है। अंचल प्रभारी ऐसे ऑनलाईन समर्पित आवेदन की समीक्षा कर संतुष्ट होने के उपरांत दो दिनों की अवधि में व्यवसायी को SMS Alert तथा e-Mail द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय पर सभी आवश्यक कागजातों की मूल प्रति सहित अंचल कार्यालय में उपस्थित होने की सूचना देंगे।

निर्धारित तिथि पर व्यवसायी द्वारा ऑनलाईन समर्पित आवेदन पत्र की हस्ताक्षरित प्रति, संबंधित कागजात/दस्तावेज, इस आशय का शपथ–पत्र कि आवेदन में दिए गए सभी विवरणी सही हैं, रू0 100/– का निबंधन शुल्क तथा Security Bond की मूल प्रति के साथ अंचल प्रभारी के समक्ष उपस्थित होंगे। उपस्थापित कागजातों/दस्तावेजों की जाँच से संतुष्ट होने के उपरांत अंचल प्रभारी विहित निबंधन प्रमाण पत्र (JET 102 / JHLT102) निर्गत करेंगे। उपस्थापित कागजातों तथा ऑनलाईन समर्पित आवेदन पत्र में किसी प्रकार के अंतर पाने की स्थिति में अंचल प्रभारी व्यवसायी को सूचित करते हुए विहित आवेदन प्रपत्र (JET 101/ JHLT101) में संबंधित संशोधन/परिवर्त्तन करेंगे। तदनुसार निबंधन प्रमाण–पत्र (JET 102 / JHLT102) निर्गत किया जा सकता है।

निर्गत प्रमाण–पत्र के अधीन 11 अंकों का निबंधन प्रमाण–पत्र संख्या दिया जाएगा। JET के अधीन उक्त संख्या में प्रथम दो अंक राज्य कोड (20), तृतीय–चतुर्थ अंक Computer Generated Code, पंचम–षष्ठ अंक (अंचल कोड) सप्तम–अष्टम कोड (Act Code 42), तथा शेष तीन अंक (निबंधन कोड) होंगे। JHLT के अधीन उक्त संख्या में प्रथम दो अंक राज्य कोड (20), तृतीय–चतुर्थ अंक Computer Generated Code, पंचम–षष्ठ अंक (अंचल कोड) सप्तम–अष्टम अंक (Act Code-45),तथा शेष तीन अंक (निबंधन कोड) होंगे।

झारखण्ड स्थानीय क्षेत्र में वस्तुओं के उपभोग अथवा व्यवहार हेतु प्रवेश पर प्रवेश कर नियमावली, 2011 (JET) एवं झारखण्ड होटल विलास कराधान नियमावली, 2011 (JHLT) के सुसंगत नियमों के अधीन व्यवसायी द्वारा उपरोक्त वर्णित सभी कागजातों के समर्पित करने के उपरांत (JET RULE 3(2)(d) एवं JHLT RULE 3(2)(d))एक दिन के अन्दर निबंधन प्रमाण पत्र (JET 102 / JHLT102) निर्गत करना आवश्यक है।

उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त समय–समय पर संबंधित अधिनियम/नियमावली में संशोधन के आलोक में विहित प्रावधानों में संशोधन/परिवर्त्तन किया जा सकेगा।

विश्वासभाजन

a. Tiwari 21/3/12

सचिव–~~सह~~–आयुक्त,
वाणिज्य–कर विभाग,
झारखण्ड, राँची।